

राजस्थान-सरकार  
राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना जिला झुंझुनूं (राजस्थान)  
(दिनांक 14.05.2022 शनिवार)

द्वितीय लोक अदालत बैच न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत बुहाना

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 114/2022

GCMS NO-.....2022/214.

किस्म मुकदमा :-136 LR Act.


उनवान- भादरमल बनाम राज. सरकार


—:आदेश:—

दिनांक : 14.05.2022

प्रार्थी के 'नाम दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का पचेरी खुर्द के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	अलीपुर	ग्राम अलीपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 210 के हाल खसरा 653,654	1. केशरी देवी पत्नी प्रभाती जाति अहीर	1. केशरी देवी पत्नी प्रभाती जाति गुर्जर
2	अलीपुर	ग्राम अलीपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 50 के हाल खसरा 310,314,315	2. भादरमल पुत्र प्रभाती जाति अहीर	2. भादरमल पुत्र प्रभाती जाति गुर्जर

  
(सुनील कुमार चौहान)  
(सुनील कुमार चौहान)  
राष्ट्रीय लोक अदालत बुहाना  
जिला झुंझुनूं (राज.)

  
(स्वाती पारीक)  
अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोक अदालत बुहाना  
जिला झुंझुनूं

क्रमांक :- राजस्व/2022/

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. भादरमल पुत्र प्रभाती जाति गुर्जर निवासी अलीपुर तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।

दिनांक :-.....  
  
उपस्थित अधिकारी  
(सुनील कुमार चौहान)  
एवं पदेन सहायक अधिकारी, बुहाना  
जिला झुंझुनूं (राज.)